बीरबल दास

बनाम

हरियाणा राज्य

समतुल्य उद्धरण: (1990) 97 पीएलआर 698

लेखक: एस सोढ़ी

बेंच: जीसी मितल, एस सोढ़ी

आदेश

न्यायमूर्ति एसएस सोढ़ी, जे.

1. जहां व्हिस्की की एक बोतल पर लेबल इसकी अल्कोहलिक शक्ति को 75-प्रूफ बताता है, लेकिन सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा इसे केवल 72,30-प्रूफ पाया जाता है, तो क्या यह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 के तहत अपराध बनता है? इसके बाद इसे 'अधिनियम') के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इसमें आईएस तिवाना, जे. द्वारा एक बड़ी बेंच द्वारा विचार के लिए भेजा गया विवाद शामिल है।

2. याचिकाकर्ता-बीरबल दास सेफिडॉन में एक लाइसेंस प्राप्त अंग्रेजी व्हिस्की/वायर विक्रेता है। 12 जून, 1986 को खाद्य निरीक्षक द्वारा उनसे एम्पायर फाइन व्हिस्की का एक नमूना खरीदा गया था, जिसका विश्लेषण करने पर सार्वजनिक विश्लेषक ने 75 डिग्री-प्रूफ के बजाय 72 30-प्रूफ की अल्कोहलिक ताकत पाई, जैसा कि बताया गया है। बोतल का लेबल. इसके बाद याचिकाकर्ता को धारा 13(2) के तहत एक नोटिस भेजा गया और बाद में अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई । याचिकाकर्ता ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। इस अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस दलील पर कहा कि चूंकि अधिनियम शराब की ताकत के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं करता है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

3. प्रचारित प्रस्ताव का समर्थन वास्तव में आपराधिक विविध मामले में इस न्यायालय के फैसले से मिल रहा है। 1981 का 5600 एम (चमन लाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य, सीआरएल विविध। 1981 का 5600-एम।) 22 जुलाई 1982 को निर्णय लिया गया। उस मामले में लिया गया नमूना फ्लाइंग व्हिस्की का था। उस पर लगे लेबल के अनुसार इसकी अल्कोहलिक ताकत 75° प्रूफ थी, लेकिन विश्लेषण करने पर यह 78,87° प्रूफ पाई गई। उस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत की गई कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि अधिनियम के तहत शराब की तीव्रता के किसी भी मानक को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसके बाद सुरिंदर सिंह जे. ने तार बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य , (1986) 2 सी, एलजे (सी एंड सीआर) 217 में मामला दर्ज किया। यहां फिर से, मामला व्हिस्की की एक बोतल से लिए गए नमूने से संबंधित था। लेबल में कहा गया है कि अल्कोहलिक शक्ति 75° प्रमाण है, लेकिन सार्वजनिक विश्लेषक ने इसे 78.45°~ प्रमाण पाया। इस मामले में भी शिकायत को इस आधार पर फिर से रद्द कर दिया गया कि अधिनियम के तहत शराब की ताकत का मानक निर्धारित किया गया था।

4. एमवी कृष्णन नाम्बिसन बनाम केरल राज्य , एआईआर 1966 एससी 1676 का भी संदर्भ दिया गया था। जो छाछ की बिक्री से संबंधित था, जहां यह माना गया था कि इसे बेचने वाले व्यक्ति को धारा 16 के साथ पढ़ी गई धारा 7 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 1)(ए)(i) अधिनियम में छाछ की सामग्री के लिए विशेष रूप से या अन्य खराब वस्तुओं के संदर्भ में कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है।

5. अगला वकील नरेश कुमार बनाम पंजाब राज्य , 1981 सीआर के लिए भेजा गया। एलजे 915. जहां मामला पट्टासों की बिक्री से संबंधित था, जिन पर फिर से साबुन-पत्थर की कोटिंग पाई गई थी, यह माना गया कि चूंकि उनकी गुणवत्ता, विभिन्न घटकों के अनुपात की शुद्धता के संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। इसके निर्माण में और न ही सोप-स्टोन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया था, ऐसा कोई अपराध नहीं कहा जा सकता था जो अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(i) के तहत दंडनीय था।

6. इन न्यायिक उदाहरणों से निपटने में चमन लाल और तार बलबीर सिंह के मामलों (सुप्रा) को पढ़ने से पता चलेगा कि वहां अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, जिनका उठाए गए मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है। इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अधिनियम की धारा 7 का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है:-

"कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए विनिर्माण या भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा-

(i) कोई भी मिलावटी भोजन;

(ii) कोई भी गलत ब्रांड वाला भोजन;

(iii) कोई भी खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार छोड़कर;

(iv) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा फिलहाल प्रतिबंधित है;

(v) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में खाद्य पदार्थ का कोई भी लेख; या

(vi) कोई भी मिलावटी पदार्थ।

xx xx xx"

7. अधिनियम इन प्रावधानों के उल्लंघन को धारा 16(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध बनाता है । इसमें तीन साल की कैद और जुर्माने तक की सजा हो सकती है।

8. नोट के आगे धारा 2(i)(ए)

में निहित 'मिलावटी' शब्द की परिभाषा है, जिसके तहत किसी खाद्य पदार्थ को मिलावटी माना जाएगा:-

"(ए) यदि किसी विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है और पूर्वाग्रहपूर्ण है, या उस प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है जिसका वह तात्पर्य या प्रतिनिधित्व किया जाता है। "

इसके अलावा धारा 2(ix) में कहा गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को गलत ब्रांड वाला माना जाएगा:-

xx xx

(ई) यदि लेबल पर या अन्यथा इसके लिए झूठे दावे किए गए हैं; .

xx xx

(छ) यदि पैकेज में यह शामिल है, या लेबल या पैकेज में सामग्री या उसमें मौजूद पदार्थों के संबंध में कोई कथन, डिज़ाइन या उपकरण है, जो किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक है: या यदि पैकेज अन्यथा संबंध में भ्रामक है इसकी सामग्री के लिए.

9. इन प्रावधानों के संदर्भ में, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि जहां व्हिस्की की अल्कोहलिक ताकत वास्तव में वह नहीं है जो इसके लेबल पर घोषित की गई है, यह स्पष्ट रूप से धारा 7 में निहित निषेध के दायरे में आएगी , जो बदले में, संबंधित व्यक्ति अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत निर्धारित दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसा होने पर, हम, सम्मान के साथ, चमन लाल और तार बलहिर सिंह के मामलों (सुप्रा) में व्यक्त विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं, कि चूंकि अधिनियम में कोई मादक शक्ति निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए इसके अनुरूप कोई अपराध नहीं किया जाता है, अगर यह अनुरूप नहीं है लेबल पर जो कहा गया है। इसके विपरीत, हमारे विचार में ऐसे

मामले में, कोई अपराध किया गया है या नहीं, यह अधिनियम की धारा 2 , 7 और 16 के प्रावधानों के संदर्भ में विचार और निर्णय लेने का मामला है।

10. इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यहां अपराध यह है कि नमूना उसके घटकों या सामग्री के संबंध में लेबल पर घोषित की गई बातों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, इसकी सामग्री से उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। , और चाहे शराब की ताकत लेबल पर उल्लिखित ताकत से अधिक हो या कम, वास्तव में किसी भी परिणाम का मामला नहीं है जहां तक अपराध के कमीशन का संबंध है। ऐसा मानते हुए, हम लोक अभियोजक बनाम उम्मेदमल गोहाला, 1977 (I) एफएसी 264 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले के तर्क को मंजूरी के साथ उद्धृत करते हैं। जहां खाद्य निरीक्षक द्वारा लिया गया मूंगफली का नमूना पाया गया था इसमें 15 प्रतिशत कुसुम तेल शामिल था और शेष 85 प्रतिशत वास्तव में मूंगफली का तेल था, यह कुसुम तेल मूंगफली के तेल की तुलना में अधिक महंगा था और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद, इसे अपराध माना गया। अधिनियम की धारा 2 और 7 के अर्थ के अंतर्गत प्रतिबद्ध है और इन प्रावधानों के संदर्भ में, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मिलावटी वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी या क्रेता इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता था। इस प्रकार विक्रेता को अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत उत्तरदायी ठहराया गया।

11. जहां तक एमवी क्रिह्वान नाम्बिसन और नरेश कुमार के मामलों (सुप्रा) का संबंध है, इसे पढ़ने से पता चलेगा कि ये दोनों मामले यहां मुद्दे के बिंदु से तथ्य पर स्पष्ट रूप से अलग हैं। वर्तमान मामले की तरह विचाराधीन लेख के गलत ब्रांड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और इसलिए, वे याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं देते हैं।

12. कानून में स्पष्ट और स्थापित स्थिति इस प्रकार निर्धारित की गई है, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, अर्थात्; चूंकि अधिनियम के तहत अल्कोहलिक ताकत के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए व्हिस्की के नमूने में लेबल पर उल्लिखित अल्कोहलिक ताकत से भिन्न अल्कोहलिक ताकत होने पर कोई अपराध नहीं बनता है। इस प्रकार इस संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया गया है और परिणामस्वरूप, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)